

# न्यायालय, समाहर्ता, सह-जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया।

आदेश-पत्रक

2017 No. -49/17-18

(देखें अभिलेख एक्ट, 1946 का नियम 139)

आदेश पत्रक-ता०

से

जिला-खगड़िया

सा०

सन्

केस का प्रकार:-बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत जप्त विदेशी शराब को विनष्ट करने के संबंध में।

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख-सहित
1.	02.	3.
15.06.2017	<p>पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 3106/सी०आर० दिनांक 12.06.2017 द्वारा खगड़िया थाना काण्ड संख्या-256/2017 दिनांक 17.04.2017 धारा-30(ए०) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम-2016 के अंतर्गत जप्त किये गये देशी मसालेदार शराब-200 एम०एल० का 194 (एक सौ चौरावे) पाउच, जिसमें माननीय न्यायालय के आदेशानुसार 12(बारह) पाउच देशी मसालेदार शराब जाँच हेतु उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को भेजा गया है, तथा शेष 200 एम०एल० का 182 (एक सौ विरासी) पाउच कुल-36.400 लीटर थाना के मालखाना में रखा हुआ है।</p> <p>200 एम०एल० का देशी मसालेदार शराब का 182 (एक सौ विरासी) पाउच शराब कुल-36.400 लीटर सड़ने गलने की पूर्ण संभावना एवं स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर को लेकर विनष्ट करने की अनुमति का प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के माध्यम से प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के साथ जप्ती सूची, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, खगड़िया का पर्यवेक्षण टिप्पणी एवं प्रतिवेदन-03 संलग्न है।</p> <p>अतः उक्त प्रस्ताव के आलोक में बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-57 में प्रदत्त शक्ति के आलोक में उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि खगड़िया थाना काण्ड संख्या-256/2017 जप्त देशी/विदेशी शराब कुल-36.400 ( छत्तीस लीटर 400 एम०एल०) लीटर को अपने देख रेख में विनष्ट करें, तथा अनुपालन प्रतिवेदन न्यायालय में समाहित करेंगे।</p> <p>आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/थानाध्यक्ष, खगड़िया/उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजी जाय।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p>समाहर्ता, खगड़िया।</p>	<p>इसके अलावा 194 (बारह) पाउच देशी मसालेदार शराब का 182 (एक सौ विरासी) पाउच शराब कुल-36.400 लीटर सड़ने गलने की पूर्ण संभावना एवं स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर को लेकर विनष्ट करने की अनुमति का प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के माध्यम से प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के साथ जप्ती सूची, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, खगड़िया का पर्यवेक्षण टिप्पणी एवं प्रतिवेदन-03 संलग्न है।</p> <p>अतः उक्त प्रस्ताव के आलोक में बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-57 में प्रदत्त शक्ति के आलोक में उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि खगड़िया थाना काण्ड संख्या-256/2017 जप्त देशी/विदेशी शराब कुल-36.400 ( छत्तीस लीटर 400 एम०एल०) लीटर को अपने देख रेख में विनष्ट करें, तथा अनुपालन प्रतिवेदन न्यायालय में समाहित करेंगे।</p> <p>आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/थानाध्यक्ष, खगड़िया/उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजी जाय।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p>समाहर्ता, खगड़िया।</p>



*Handwritten notes in Hindi:*  
 इसके अलावा 194 (बारह) पाउच देशी मसालेदार शराब का 182 (एक सौ विरासी) पाउच शराब कुल-36.400 लीटर सड़ने गलने की पूर्ण संभावना एवं स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर को लेकर विनष्ट करने की अनुमति का प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के माध्यम से प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के साथ जप्ती सूची, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, खगड़िया का पर्यवेक्षण टिप्पणी एवं प्रतिवेदन-03 संलग्न है।